समक्ष विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.), कानपुर मण्डल, कानपुर ।

परिवाद संख्या - 13/2022

**इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)**

------- परिवादी /आवेदक

बनाम

**अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (द.वि.वि.नि.लि.)
कायमगंज, फर्रुखाबाद ।**

-------- विपक्षी

अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)
(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

परिवादी इण्डस टावर लि. द्वारा इनर्जी कन्ट्रोलर ने अपने विद्वान अधिकृत अधिवक्ता मो. कौसर जाँह द्वारा दिनांक 02.09.2022 को अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के विरूद्ध अपने संयोजन सं. 781726573886 के संम्बंध में त्रुटिपूर्ण मीटर एवं विद्युत बिलों में संशोधन के सम्बंध में इस फोरम के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया है । परिवाद में मूख्यरूप से निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया है:-

(a) विद्युत विलों की धनराशि में विद्युत वितरण कोड 2005 के धारा 6.5 (c) के अनुसार संसोधन किया जाये ।

(b) अधिक जमा की गयी धनराशि का समायोजन आगामी विलों में विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (c) के अनुसार किया जाये ।

(c) विपक्षी को विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (b) (i) के अनुसार विलम्ब अधिभार (LPSC) को माफ करने हेतु निर्देशित किया गया ।

(d) वाद खर्च के भुगतान हेतु आदेश पारित किया जाये ।

(e) अन्य कोई आदेश जिससे उपभोक्ता का अधिकार संरक्षित रहे ।

इण्डस टावर लि. ग्राम उखारा, नवाबगंज खास संयोजन सं. 781726573886 स्वीकृत भार 16.667 KW का Previous Arrear & Previous Surcharge रु. 6,38,066/- था ।

आगे जारी है ।

निष्कर्ष

परिवादी के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता मो. कौसर जॉह को तथा विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

इस परिवाद को निस्तारित करने हेतु निम्न लिखित बिन्दु बनाया गया :-

(1) क्या परिवादी का परिवाद कायम रहने योग्य है।

परिवादी ने परिवाद विपक्षी के विरुद्ध दाखिल किया है। परिवादी ने विद्युत बिल (का. सं. 1/9) दाखिल किया। विपक्षी की ओर से (का. सं. 3/1 ता 3/17) पत्रांक सं. 3896/वि.वि.ख./(का.) कोर्ट केस दिनांक 06.09.2022 दाखिल किया गया है।

संयोजन सं. 781726573886 के सापेक्ष परिवादी ने पूर्व में भी परिवाद सं. 28/2021 दिनांक 20.09.2021 को दाखिल किया था। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के अन्तर्गत F.I.R. दर्ज करायी गयी थी। जिसमें परिवादी को अवगत कराया गया था कि यह परिवाद न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अतः न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2021 को निरस्त कर दिया गया था। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल न देने हेतु कहा गया है और इसके सम्बन्ध में परिवाद पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखा भी गया।

उपरोक्त परिस्थितियो में परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी इण्डस टावर लि. का परिवाद बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०
दिनांकः- 14/10/2022

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०
दिनांकः- 14/10/2022

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.) (iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति